<u>पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड</u>
घटनाओं की तात्विकता के निर्धारण हेतु नीति

[सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 का विनियम 30]

क) प्रस्तावना

'घटनाओं की तात्विकता के निर्धारण' से संबंधित नीति यथासंशोधित सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 की अपेक्षाओं के अनुसार तैयार की गई है।

ख) परिभाषाएं

इस नीति में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :

"कंपनी" से अभिप्राय पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ("पीएफसी") है।

"विनियम" से अभिप्राय भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 और उसके संशोधनों से है।

तात्विक घटनाओं /सूचनाओं से अभिप्राय ऐसी घटनाओं/सूचनाओं से है जो इस नीति के बिंदु 'ग' के अंतर्गत यथाउल्लिखित मानदंडों को पूरा करती हैं।

प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियाँ और जिनको इस नीति में पारिभाषित नहीं किया गया है, परंतु कंपनी अधिनियम, 2013, प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 या भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 या निक्षेपागार अधिनियम, 1996 या इन्सॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड, 2016 तथा सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 में पारिभाषित किया गया है, उनका अभिप्राय क्रमशः वही होगा जो उन अधिनियमों/नियमों/ विनियमों आदि में और समय-समय पर उनमें किए गए संशोधनों में दिया गया है।

ग) घटनाओं/सूचनाओं की तात्विकता के निर्धारण हेतु मानदंड"

घटनाओं/सूचनाओं की तात्विकता को निर्धारित करने हेतु मानदंड निम्नानुसार होंगे:

क) किसी घटना या सूचना का लोप किया जाना जिससे पहले ही सार्वजनिक रूप से उपलब्ध किसी घटना या सूचना में अंतराल या परिवर्तन होने की संभावना हो; अथवा

ख) किसी घटना या सूचना का लोप किए जाने के परिणामस्वरूप बाज़ार में महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया होने की संभावना हो, यदि कथित लोप के बाद की तारीख में प्रकाश में आए;

ग) यदि उप खंड (क) और (ख) में विनिर्दिष्ट मानदंड लागू नहीं हों, तो उस स्थिति में कोई घटना/सूचना महत्त्वपूर्ण समझा जाएगा यदि निदेशक मंडल की राय में घटना/सूचना महत्त्वपूर्ण मानी जाती है।

घ) तात्विक घटनाओं / सूचनाओं का प्रकटीकरण

निम्नलिखित घटनाओं/सूचनाओं को "तात्विक" माना जाएगा और घटनाओं/सूचनाओं की तात्विकता को निर्धारित करने वाले मानदंडों का अनुप्रयोग किए बिना स्टॉक एक्सचेंजों की जानकारी में लाया जाएगा।

1. अधिग्रहण (इसमें अधिग्रहण की सहमति शामिल है), व्यवस्था की स्कीम (स्कीम ऑफ अरेंजमेंट) (आमेलन / विलयन / अविलयन/ पुनर्गठन) या किसी यूनिट(टों), डिवीजन (नों) या कंपनी की सब्सिडियरी की बिक्री या निपटान या कोई अन्य पुनर्गठन

स्पष्टीकरण :- इस उप-पैरा के प्रयोजन से 'अधिग्रहण' शब्द का अर्थ होगा-
(i) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण का अधिग्रहण करना; या,
(ii) किसी कंपनी में प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से शेयरों या मताधिकारों का अधिग्रहण करना या अधिग्रहण करने के लिए सहमत होना जैसे-

(क) पीएफसी के पास उक्त कंपनी में शेयरों के कुल पांच% शेयर या मताधिकार हों या उससे अधिक शेयर या मताधिकार हों।

(ख) इस उप-पैरा के स्पष्टीकरण के खंड (ii) के उप-खंड (क) के अंतर्गत किए गए पिछले प्रकटीकरण से धारिता में परिवर्तन हुआ हो और ऐसे परिवर्तन से उक्त कंपनी में कुल शेयरधारिता या मताधिकार में 2% की वृद्धि हुई हो।

2. प्रतिभूतियां जारी करना या ज़ब्त करना, शेयरों का विभाजन या समेकन, प्रतिभूतियों की वापसी खरीद(बायबैक), प्रतिभूतियों के हस्तांतरण पर कोई प्रतिबंध, वर्तमान प्रतिभूतियों की शर्तों या संरचना में परिवर्तन, जिसमें जब्ती, जब्त की गई प्रतिभूतियों को पुनः जारी करना, कॉलों में परिवर्तन, प्रतिभूतियों का मोचन (रिडेम्पशन) आदि शामिल है।

3. रेटिंग (रेटिंगों) में संशोधन

4. निदेशक मंडल की बैठकों का परिणाम: कंपनी, निम्नलिखित पर विचार करने के लिए आयोजित की गई बैठक के समाप्त होने के 30 मिनट के भीतर एक्सचेंज(एक्सचेंजों) को सूचित करेगी:

(i) सिफ़ारिश किए गए या घोषित लाभांश और / या नकद बोनस या कोई लाभांश पारित करने का निर्णय और वह तारीख जब लाभांश का भुगतान किया जाएगा / प्रेषित किया जाएगा;

(ii) लाभांश को रद्द करना और उनके कारण;

(iii) प्रतिभूतियों की वापस खरीद के बारे में निर्णय;

(iv निधि जुटाने के संबंध में लिए जाने वाले प्रस्तावित निर्णय;

(v) पूंजीकरण के माध्यम से बोनस शेयर जारी कर पूँजी में वृद्धि और वह तारीख जब ऐसे बोनस शेयर जमा/प्रेषित किए जाएंगे ।

(vi) ज़ब्त शेयरों या प्रतिभूतियों को पुनः जारी करना या भविष्य में जारी करने के लिए रिज़र्व में रखे गए शेयरों या प्रतिभूतियों को जारी करना या नए शेयरों अथवा प्रतिभूतियों के किसी रूप या तरीके से सृजन या अन्य कोई अधिकार, विशेषाधिकार या हितलाभ जो दिए जाएँ;

(vii) कॉल सहित पूँजी में अन्य किसी परिवर्तन का संक्षिप्त विवरण;

(viii) वित्तीय परिणाम;

(ix) कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंज / एक्सचेंजों से स्वैच्छिक रूप से सूची से हटाने का निर्णय

5. करार (नामतः शेयरधारक करार, संयुक्त उद्यम करार, पारिवारिक निपटान करार (इस सीमा तक कि यह पीएफसी के प्रबंधन और नियंत्रण को प्रभावित करता है), (मीडिया कंपनियों के साथ करार / संधि / संविदा) जो बाध्यकारी हों और सामान्य व्यापार से संबंधित न हों, उनका संशोधन या बदलाव या परिसमापन।

6. प्रोमोटर या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक द्वारा जालसाज़ी / चूक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या प्रोमोटर की गिरफ्तारी

7. निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (प्रबंध निदेशक, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी, कंपनी सचिव आदि) लेखापरीक्षक और अनुपालन अधिकारी में परिवर्तन

7(क). कंपनी के लेखापरीक्षक द्वारा त्यागपत्र दिए जाने पर उक्त लेखापरीक्षक द्वारा दिए गए त्यागपत्र के विस्तृत कारण यथाशीघ्र परंतु लेखापरीक्षक से ऐसे कारण प्राप्त होने के अधिक से अधिक चौबीस घंटे के भीतर स्टॉक एक्सचेंजों के ध्यान में लाए जाएंगे।

7(ख). स्वतंत्र निदेशक के त्यागपत्र और त्यागपत्र के कारण: कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के त्यागपत्र के मामले में, त्यागपत्र दिए जाने की तारीख से सात दिनों के भीतर कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों को निम्नलिखित प्रकटीकरण किए जाएंगे:

(i) निदेशकों द्वारा त्यागपत्र दिए जाने पर उनके द्वारा दिए गए त्यागपत्र के विस्तृत कारण कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किए जाएंगे।

(ii) स्वतंत्र निदेशक, विस्तृत कारणों सहित इस बात की पुष्टि भी करेगा कि दिए गए कारणों के अतिरिक्त अन्य कोई तात्विक कारण नहीं है।

(iii) उपर्युक्त स्वतंत्र निदेशक यथाउल्लिखित पुष्टि उपर्युक्त उप-खण्ड (i) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार विस्तृत ब्योरों सहित कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित की जाएगी।

8. शेयर अंतरण एजेंट की नियुक्ति या हटाया जाना

9. कॉर्पोरेट ऋण पुनर्गठन

10. किसी बैंक के साथ एकबारगी निपटान

11.बीआईएफआर को संदर्भ तथा किसी पक्षकार/क्रेडिटर द्वारा दायर की गई याचिका को समाप्त करना

12. शेयरधारकों, डिबेंचर धारकों या क्रेडिटर या उनमें से किसी वर्ग या मीडिया में विज्ञापित को भेजे गए नोटिस, बुलावा-पत्र, संकल्प या परिपत्र जारी करना

13. वार्षिक और असाधारण आम बैठकों की कार्यवाही

14. संस्था के अंतर्नियमों और संगम ज्ञापनों में संक्षेप में संशोधन

15. विश्लेषक या संस्थागत निवेशक बैठक की अनुसूची तथा पीएफसी द्वारा तैयार किए गए वित्तीय परिणामों का विश्लेषकों या संस्थागत निवेशकों को प्रस्तुतीकरण

16. दिवालियापन संहिता के अंतर्गत किसी सूचीबद्ध कॉर्पोरेट ऋणी (डेटर) के कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया (सीआईईआरपी) के संबंध में निम्नलिखित कार्यक्रम:

(i) सीआईआरपी की शुरुआत करने के लिए कॉर्पोरेट आवेदक द्वारा आवेदन पत्र दाखिल करना साथ ही चूक की राशि का विशेष रूप से उल्लेख करना;

(ii) कॉर्पोरेट ऋणी (डेटर) के विरुद्ध सीआईआरपी की शुरुआत करने के लिए वित्तीय क्रेडिटर द्वारा आवेदन-पत्र दाखिल करना, साथ ही चूक की राशि का विशेष रूप से उल्लेख करना;

(iii) चूक की राशि या अस्वीकृति या वापस लेना, जैसा भी लागू हो, सहित न्यायाधिकरण द्वारा आवेदन स्वीकार किया जाना;

(iv) दिवालियापन संहिता की धारा 13 के अंतर्गत न्यायाधिकरण द्वारा पारित किए गए आदेश के अनुसरण में की गई घोषणा;

(v) कॉर्पोरेट व्यक्ति विनियम, 2016 के लिए दिवालियापन समाधान प्रक्रिया के विनियम 13 (2) (ग) के अंतर्गत कॉर्पोरेट ऋणी (डेटर) द्वारा प्रदर्शित की जाने के लिए अपेक्षित क्रेडिटरों की सूची;

(vi) रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की नियुक्ति / प्रतिस्थापन

(vii) क्रेडिटरों की समिति की बैठक होने से पहले या बाद में सूचना देना;

(viii) कॉर्पोरेट व्यक्ति विनियम, 2016 की दिवालियापन समाधान प्रक्रिया के विनियम के अंतर्गत विनिर्दिष्ट स्वरुप में दिवालियापन संहिता की धारा 25 (2) (ज) के अंतर्गत समाधान योजनाओं के आमंत्रण का संक्षिप्त ब्यौरा;

(ix) समाधान पेशेवर द्वारा प्राप्त की गई समाधान योजनाओं की संख्या;

(x) न्यायाधिकरणों में समाधान योजना दाखिल करना;

(xi) न्यायाधिकरण द्वारा समाधान का अनुमोदन अथवा अस्वीकृति, यदि लागू हो;

(xii) विनिर्दिष्ट किए जाने वाले फॉर्म में न्यायाधिकरण द्वारा; अनुमोदित समाधान की विशेषताएं जिनमे वाणिज्यिक गोपनीयताएँ शामिल न हों;

(xiii) कोई अन्य तात्विक सूचना जिसमें वाणिज्यिक गोपनीयताएँ शामिल न हों;

ड़) तात्विकता के मानदंड पूरा करने वाली घटनाओं / सूचनाओं का प्रकटीकरण

तात्विकता के मानदंड के आधार पर निम्नलिखित घटनाएं / सूचनाएं भी तात्विक मानी जा सकती हैं और इनकी सूचना स्टॉक एक्सचेंजों को दी जाएगी।

1. किसी यूनिट/डिवीजन का वाणिज्यिक उत्पादन या वाणिज्यिक प्रचालन शुरू करने की तारीख में शुरुआत या मुल्तवी

2. कार्यनीतिक, तकनीकी, विनिर्माण या बाज़ारी तालमेल, व्यापार की नई लाइनों को अपनाने या किसी यूनिट/प्रभाग के प्रचालन का बंद होना/क्लोज़र(पूरी तरह से या आंशिक रूप से) के लिए प्रबंधन के द्वारा व्यापर के सामान्य चरित्र या प्रकृति में लाए गए परिवर्तन
3. क्षमता संवर्धन या उत्पाद शुरू करना
4. अवॉर्ड किए गए, प्राप्त किए ऐसे आदेशों / संविदाओं को अवॉर्ड करना, प्राप्त करना, संशोधन या समापन जो सामान्य व्यापार के दौरान न हों।
5. करार (नामतः ऋण करार-ऋणकर्ता के रूप में) या अन्य कोई करार जो बाध्यकारी हैं और जो सामान्य व्यापार के दौरान नहीं हैं और उनमें संशोधन / पुनरीक्षण या समापन
6. प्राकृतिक आपदा (भूकंप, बाढ़, आगजनी आदि), अप्रत्याशित घटनाओं या हड़ताल, तालाबंदी आदि के कारण कंपनी की किसी एक या एक से अधिक यूनिटों के प्रचालानों में बाधा।
7. कंपनी पर लागू विनियामक ढांचे में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले प्रभाव
8. प्रभाव सहित मुकदमेबाज़ी / विवाद/ विनियामक कार्य
9. निदेशकों (प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक को छोड़कर) या कंपनी के कार्मिकों द्वारा की गई जालसाज़ी / चूकें।
10. ईएसओपी / ईएसपीएस स्कीम सहित प्रतिभूतियां खरीदने के लिए विकल्प
11. गारंटी देना या क्षतिपूर्ति देना या किसी तृतीय पक्षकार के लिए ज़मानती बनना
12. प्रमुख लाइसेंस या विनियामक अनुमोदन प्रदान करना, वापस लेना, अभ्यर्पण करना, रद्द करना या निलंबित करना
13. कोई अन्य सूचना / घटना नामतः वृहत विकास जिससे व्यापार प्रभावित होने की संभावना हो। उदहारण के लिए नई प्रौद्योगिकियों का उद्भव, पेटेंट की समाप्ति, लेखाओं पर उल्लेखनीय प्रभाव डालने वाली लेखांकन नीति में कोई परिवर्तन आदि और उसका संक्षिप्त ब्यौरा तथा कोई अन्य सूचना जो कंपनी को भली-भाँती ज्ञात हो। कंपनी के प्रतिभूति धारकों को अपनी स्थिति से अवगत करवाने और ऐसी प्रतिभूतियों में झूठे बाजार की स्थापना से बचने के लिए ज़रूरी है।

च) कंपनी घटना घटने / सूचना तैयार होने के अधिक से अधिक चौबीस घंटे के भीतर नीति के पैरा 'घ' में विनिर्दिष्ट घटनाओं / सूचनाओं की जानकारी स्टॉक एक्सचेंज को देगी। इसके अतिरिक्त, यदि प्रकटीकरण, घटना घटित होने / सूचना तैयार होने के चौबीस घंटे बाद किया जाता है तो कंपनी ऐसे प्रकटीकरण के साथ विलम्ब के लिए स्पष्टीकरण देगी।

कंपनी, नीति के पैरा 'ज' के अनुसार सूचना या घटना की तात्विकता के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त होने के बाद उचित रूप से जितनी जल्दी संभव हो और अधिक से अधिक चौबीस घंटे के भीतर नीति पैरा 'ड़' में सूचनाओं, घटनाओं की जानकारी स्टॉक एक्सचेंजों को देगी। इसके अतिरिक्त यदि प्रकटीकरण, घटना घटित होने / सूचना तैयार होने के चौबीस घंटे बाद किया जाता है तो कंपनी ऐसे प्रकटीकरण के साथ विलम्ब के लिए स्पष्टीकरण देगी।

छ) अनुलग्नक क के अनुसार प्रकटीकरण के लिए आवश्यक जानकारी के साथ स्टॉक एक्सचेंज को प्रकटीकरण किया जाएगा जो सेबी द्वारा विनिर्दिष्ट की गई है।

ज) **किसी घटना या सूचना की तात्विकता के निर्धारण के लिए केएमपी को प्राधिकार दिया जाना**

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 30 (5) के अनुसरण में कंपनी के निदेशक मंडल ने इस नीति में विनिर्दिष्ट मानदंड के आधार पर किसी घटना या सूचना की अनेक बार / या संयुक्त रूप से तात्कालिकता निर्धारित करने के लिए प्रकार्यात्मक सदस्यों को प्राधिकृत किया तथा इस नीति के पैरा ड. में वर्णित घटनाओं के संबंध में प्रकटीकरण का कंपनी सचिव, पीएफसी को निर्देश दिया।

झ) सीमाएं

इस नीति के प्रावधानों और सूचीबद्धता विनियमों या किसी अन्य सांविधिक अधिनियमों, नियमों में टकराव होने पर सूचीबद्धता विनियमों के प्रावधान या अन्य सांविधिक अधिनियम, नियम जैसा भी मामला हो, इस नीति ओर अधिभावी होंगे और तदनुसार सभी संबंधितों द्वारा पालन किए जाएंगे।

ञ) नीति की समीक्षा

विनियमों में परिवर्तन के कारण या निदेशक मंडल द्वारा उपयुक्त समझे जाने पर नीति में कभी भी किसी प्रकार का परिवर्तन किए जाने पर इस नीति की समीक्षा की जा सकती है।